



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-253011
CG-DL-E-14032024-253011

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1295]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2024/फाल्गुन 24, 1945

No. 1295]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2024/PHALGUNA 24, 1945

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2024

का.आ. 1361(अ).—केंद्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 46 की उपधारा (2) के खंड (कक) और खंड (कख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर ऋण लिखत) नियम, 2019 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर ऋण लिखत) नियम, 2019 के नियम 2 के खंड (कथ) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण :- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यूनिट में वह यूनिट सम्मिलित होगी जिसका भागतः समादत्त किया गया है, जिसे भारत सरकार के परामर्श से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन अनुज्ञाप्राप्त है;"।

[फा. सं. 1/8/ईएम/2019]

सुरभि जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का. आ. 3732 (अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे: -

- (i) का.आ. 4355 (अ.), दिनांक 5 दिसम्बर 2019;
- (ii) का.आ. 1278 (अ.), दिनांक 22 अप्रैल, 2020;
- (iii) का.आ. 1374 (अ.), दिनांक 27 अप्रैल, 2020;
- (iv) का.आ. 2442 (अ.), दिनांक 27 जुलाई, 2020;
- (v) का.आ. 4441 (अ.), दिनांक 8 दिसम्बर, 2020;
- (vi) का.आ. 3206 (अ.), दिनांक 9 अगस्त, 2021;
- (vii) का.आ. 3411 (अ.), दिनांक 19 अगस्त, 2021;
- (viii) का.आ. 4091 (अ.), दिनांक 5 अक्टूबर 2021;
- (ix) का.आ. 4242 (अ.), दिनांक 12 अक्टूबर 2021;
- (x) का.आ. 1202 (अ.), दिनांक 12 अप्रैल 2022 और
- (xi) का.आ. 332 (अ.), दिनांक 24 जनवरी 2024।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2024

S.O. 1361(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (aa) and (ab) of sub-section (2) of section 46 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019, namely:-

1. (1) These rules may be called the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) (Second Amendment) Rules, 2024.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019, in rule 2, in clause (aq), the following *Explanation* shall be inserted, namely:-

“Explanation.- For the purposes of this clause, unit shall include unit that has been partly paid up, which is permitted under the regulations framed by the Securities and Exchange Board of India, in consultation with Government of India;”.

[F. No. 1/8/EM/2019]

SURBHI JAIN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O.3732 (E), dated the 17th October, 2019 and subsequently amended *vide* notification numbers: -

- (i) S.O. 4355 (E), dated the 5th December 2019;
- (ii) S.O. 1278 (E), dated the 22nd April, 2020;
- (iii) S.O. 1374 (E), dated the 27th April, 2020;
- (iv) S.O. 2442 (E), dated the 27th July, 2020;
- (v) S.O. 4441 (E), dated the 8th December, 2020;
- (vi) S.O. 3206 (E), dated the 9th August, 2021;
- (vii) S.O. 3411 (E), dated the 19th August, 2021;
- (viii) S.O. 4091 (E), dated the 5th October 2021;
- (ix) S.O. 4242 (E), dated the 12th October 2021;
- (x) S.O. 1202 (E), dated 12th April 2022; and
- (xi) S.O. 332(E), dated 24th January 2024.